तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो हुक्म की तामील जारी हुए
8/9/20	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। वकील प्रार्थी से एक फरीक बहस को सुना गया प्रार्थी के वकील ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को वर्णित प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए बयान किया गया कि मौजा बड़वाई के खाता संख्या 95 की आराजी नम्बर 1036 रकबा 0.4321 है० भूमि में प्रार्थी के हक हिस्से की भूमि पर विपक्षीगण किसी प्रकार का कोई अवैध कब्जा कर निर्माण कार्य नहीं करें संरचना नहीं करें। तथा प्रार्थी के हक हिस्से की भूमि पर किसी प्रकार की कोई दखलअंदाजी पैदा नहीं करें ना ही किसी से कराने। इस हेतु अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की जावे। उक्त निवेदन के अनुसार पत्रावली का अवलोकन किया गया। संलग्न राजस्व रेकार्ड एवं पक्षकारों को पर्याप्त मौका दिनांक 9.6.2020 का अवलोकन किया गया वाद जांच अवलोकन पाया गया कि प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजी नम्बर 1036 रकबा 0.4321 है० भूमि में पूर्वी मेड़ पर एक गड्ढा चौड़ा एवं 36 गड्ढा लम्बाई में विपक्षीगण का कब्जा होना प्रमाणित है। अतः विपक्षीगण को अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना न्यायसंगत है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर विपक्षी गण को अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि मौजा बड़वाई के खाता सं. 95 में वर्णित वादग्रस्त आराजी नम्बर 1036 रकबा 0.4321 है० भूमि प्रार्थी की खातेदारी की है जिसके किसी भू भाग पर अवैध कब्जा कर निर्माण कार्य नहीं करें भू संरचना में परिवर्तन नहीं करें न किसी हितबद्ध व्यक्ति से कराने। मूल वाद के निस्तारण होने तक। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

उपखण्ड अधिकारी,
डूंगला